an>

title: Regarding extending the last date of Crop insurance by one month.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के किसानों के लिए अद्वितीय योजना 'फसल बीमा योजना' लागू की है। उसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, उसके अनुरूप 31 जुलाई उसकी अंतिम तिथि है। राजस्थान और अन्य कई प्रदेशों में इस फसल बीमा योजना को एडॉप्ट करते-करते जुलाई का महीना आ गया था। कल और परसों के अखबारों में पहली बार यह फसल बीमा योजना अनाउंस हुई है और उसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसी समस्या बहुत सारे प्रदेशों में आ रही है।

महोदया, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, आपके माध्यम से मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तिथि को 31 जुलाई से आगे एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी मॉनसून भी देरी से चल रहा है और खेती में बुआई नहीं हुई है। इससे किसानों का बहुत भला हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।